कार्यालय परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास परियोजना– बेनूर, जिला– नारायणपुर(छ.ग.)

ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना

//विज्ञापन//

क्रमांक/ 86 /एबाविपरि0/आबानि0/2026–27 बेनूर, दिनांक 17/06/2026

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ इंन्द्रावती भवन, ब्लाक–1 द्वितीय तल नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक/IT/830/2025-WCD HOD IT SECION IT/ नवा रायपुर दिनांक 05/01/2026 के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के रिक्त पदों में ई–भर्ती पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन नियुक्ति किये जाने के प्राप्त निर्देशानुसार एकीकृत बाल विकास परियोजना – बेनूर अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्यकर्ता/सहायिका के रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाना है। उक्त पद की भर्ती हेतु इच्छुक पात्र महिलाएं (उसी ग्राम/पारे/टोले की निवासी) ई–भर्ती पोर्टल **URL-https://aww.e-bharti.in/** में **दिनांक 18/06/2026 से 03/07/2026 तक ऑनलाईन** आवेदन कर सकती है। आवेदन की सम्मस्त प्रक्रिया ई–भर्ती पोर्टल के user manual में दर्शित है, जिसका उपयोग करके आवेदन किया ज ा सकता है, निर्धारित तिथि के बाद व परियोजना या डॉक से प्रेषित आवेदनों को स्वीकार नही किया जावेगा।

क्र0	परियोजना का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम/वार्ड का नाम	पद रिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	पदनाम
1	बेनूर	कुढ़ारगांव	कोटगांव	कोटगांव	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
2	बेनूर	मालिंगनार	मालिंगनार	मालिंगनार 02	आंगनबाड़ी सहायिका
		योगः –			

(1) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के लिए आवश्यक अर्हताएँ आदि :–

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद केवल महिलाओं के लिए ही होंगे।
2. यह पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है।
3. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद के लिए आयु सीमा 18 से 44 वर्ष की होगी। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावगी। एक वर्ष से कम अनुभव के आवेदिका को आयु सीमा की छूट की पात्रता नहीं होगी।) ऐसे कार्यकर्ता/सहायिका जिन्हें अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है, उन्हें दोवारा सेवा में नहीं लिया जावेगा। अनुभव हेतु संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष की होगी।
4. जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है या जहाँ पद रिक्त है, आवेदिका उसी ग्राम की एवं नगरीय क्षेत्र के लिए उसी वार्ड की स्थानीय निवासी होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज संलग्न किया जावेगाः–

क. उसी ग्राम / नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावें।

अथवा

ख. संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो मान्य किया जावेगा।

टीपः यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

5. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका की शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (आवेदन की तिथि तक) अनिवार्य होगा :–

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु	**12 वीं बोर्ड अथवा 11वीं बोर्ड उत्तीर्ण**
आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	**08 वीं उत्तीर्ण**

टीपः– **कक्षा 8वीं मूल्यांकन ग्रेड़ पद्धति होने पर प्रधान पाठक का रजिस्टर के मूल्यांकन पत्रक के अनुसार प्राप्तांक / पूर्णाक / प्राप्त प्रतिशत् का प्रमाण पत्र आदेश के साथ संलग्न करना होगा।**

6. अनुसूचित जाति, जनजाति के आवेदिकाओं हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. विधवा एवं परित्यकता अथवा तलाकशुदा महिलाओं को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक निर्धारित होगी किन्तु तत्संबंध में सक्षम आदेश प्रस्तुत करना होगा।
8. गरीबी रेखा संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 2011 की आर्थिक जनगणना सर्वेक्षण में प्राप्त वचंन सूचकांक के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा तथा परिवार ड्राप सूची की छायाप्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका पद हेतु मूल्यांकन

क्रमांक	योग्यता	प्रदान किये जाने वाले अंक	कुल प्राप्तांक
1	आ0बा0 कार्यकता हेतु 12 वी एवं सहायिका हेतु 8 वीं उत्तीर्ण	कुल प्राप्त अंको के 60 प्रतिशत	60
2	विधवा, अथवा कम से कम दो वर्ष से अधिक परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा	15 अंक	15
3	अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग हेतु	10 अंक	10
4	पूर्व से कार्यरत अनुभवी कार्यकर्ता / सहायिका होने पर	01 वर्ष या अधिक के अनुभव पर 06 अंक	6
5	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार (प्रभावशील सूची से)	06 अंक (प्रमाण पत्र संलग्न करने पर)	6
6	अनुसूचित जाति / जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में आठवीं तक अध्ययन करने पर	03 अंक (प्रमाण पत्र संलग्न करने पर)	3
	कुल योग		100

9. आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन या दस्तावेज स्वीकार नही किया जावेगा।

10. दावा आपत्ति दर्ज करने हेतु प्राविधिक सूची ऑनलाईन ई-भर्ती पोर्टल में अपलोड की जावेगी अभ्यर्थी प्राविधिक सूची में अपने नाम को लिखित जानकारी व प्राप्त अंक का अवलोकन करें व किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर प्रमाण सहित निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन दावा आपत्ति प्रस्तुत करें, इस अवधि में किसी प्रकार के नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जावेंगा।

परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास परियोजना – बेनूर,
जिला – नारायणपुर छ0ग0

पृ. कमांक / 86-A / एबाविपरि0 / आबानि0 / 2026–27 बेनूर, दिनांक 17 / 06 / 2026

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर जिला नारायणपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नारायणपुर जिला नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित एवं सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
4. जन संपर्क अधिकारी, नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ कृपया दिये गये विज्ञापन की जानकारी स्थानीय अखबार में प्रसारित करने का कष्ट करेंगे।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी), नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु0 स्वा0 केन्द्र नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी नारायणपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
8. संबधित पर्यवेक्षक .... सेक्टर.................... को सूचनार्थ / पालनार्थ रिक्त ऑ0बा0 केन्द्रों में चस्पाकर ग्राम के इच्छूक महिला उम्मीदवारों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करावें तथा ग्राम पारे टोले स्तर पर कोटवार से मुनादी करवाते हुये मुनादी का प्रमाण पत्र अंतिम तिथि के 03 दिवस पूर्व प्रस्तुत करें।
9. सरपंच ग्राम पंचायत ....की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. परियोजना कार्यलय के सूचना पटल में चस्पा हेतु

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना – बेनूर
जिला– नारायणपुर(छ0ग0)

ग्रेड संबधी अंक सूची हेतु नमुना

प्रमाणित किया जाता है कि कु0 .... पिता श्री .... दाखिल खारिज क्रमांक................................ निवासी .... प्राथमिक / माध्यमिक पाठ शाला .... विकासखण्ड .... तहसील .... जिला .... से कक्षा 8 वीं में वर्ष ....ग्रेड .... अनुसार प्राप्तांक .... पूर्णांक .... प्रतिशत .... प्रदाय किया गया है । जिसका मिलान शाला अभिलेख अनुसार सही पाया गया है ।

प्रधान अध्यापक का हस्ताक्षर
मुहर सहित

(गरीबी रेखा प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि कु0 / श्रीमती .... पिता / पति श्री .... ग्राम .... ग्राम पंचायत .... विकासखण्ड नारायणपुर, जिला नारायणपुर के मूल निवासी हैं । इनके परिवार के मुखिया श्री / श्रीमती .... पिता / पति / माता श्री / श्रीमती .... जाति .... का नाम बी0पी0एल0 सर्वे वर्ष .... / प्रभावशील सूची सर्वे क्रमांक .... पर अंकित है । तदनूसार इन्हें गरीबी रेखा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है । उक्त प्रमाण पत्र सर्वे सूची के साथ मिलान किया गया है ।
प्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे ।

दिनांक ....

सचिव
ग्राम पंचायत ....
जनपद पंचायत नारायणपुर
मुहर सहित

टीपः– जो लागू न हो उसे काट दिया जावें ।

परिशिष्ट –तीन

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र

आवेदिका का फोटो स्व प्रमाणित चस्पा करें

प्रति,

परियोजना अधिकारी
महिला एवं बाल विकास परियोजना
नारायणपुर, जिला नारायणपुर छ0ग0

1. जिस केन्द्र के लिये आवेदन किया जा रहा है उस आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम ....
ग्राम का नाम/वार्ड का नाम :– ....
2. ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय का नाम :– ....
3. पद का नाम जिसके लिये आवेदन किया गया है :– ....
4. आवेदिका का नाम :– ....
पिता/पति का नाम :– ....
5. जन्म तिथि अंको में .... शब्दों में ....
01 जून 2026 की स्थिति में आयु ....
6. जाति :– .... वर्ग ....
7. विधवा/परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा :– ....
(02 वर्ष से अधिक परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा होने संबंधी वैध प्रमाण पत्र) ....

टीपः– परित्यक्ता के संबंध में निम्नानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं :–

अ. संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र/नगर पंचायत के अध्यक्ष/नगर पालिका अथवा नगर निगम क्षेत्र में संबंधित वार्ड के पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र अथवा

ब. न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रति ।

स. तलाकशुदा होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति ।

द. यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंशन प्राप्त हो तो उसका प्रमाण पत्र ।

विशेषः– परित्यक्ता महिला के संबंध में 02 वर्ष से अधिक की अवधि मान्य होगी ।

8. **स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र :– मतदाता सूची कमांक** .... **सूची में नाम** .... **अन्य प्रमाण पत्र** ....

टीपः– स्थानीय निवासी के संबंध में निम्नानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं :– ।

1. उस ग्राम/नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो प्रतिलिपि ।

2. संबंधित ग्राम के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में की जाने वाली नियुक्ति में पटवारी/पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो ।

विशेषः– यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा । यदि निवास प्रमाण पत्र हो तो संलग्न कर सकते हैं ।

9. गरीबी रेखा संबंधी प्रमाण :– कमांक .... गरीबी रेखा में दर्ज नाम .. .. दर्ज नाम वाले से संबंध ....
10. स्थायी पता :– ग्राम पंचायत /वार्ड का नाम ....
ग्राम का नाम .... पारा टोला ....

11. शैक्षणिक योग्यता (स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें) :–

क0	परीक्षा / कक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / शाला का नाम	प्राप्तांक		प्राप्त अंकों का प्रतिशत
				प्राप्तांक	पूर्णांक	

12. अनुसूचित जाति जनजाति विभाग द्वारा संचालित शाला का नाम ....
कन्या आश्रम में अध्ययन का प्रमाण पत्र कक्षा .... वर्ष ....

13. कार्यकर्ता / सहायिका / सह सहायिका होने संबंधी पद जिस पर कार्य किया गया है ....
कार्य का अनुभव का विवरण (मय प्रमाण पत्र) केन्द्र का नाम ....
परियोजना का नाम .... जिला का नाम ....
कब से कब तक कार्य किया ....

14. अनुभव प्रमाण पत्र ....
टीपः– पूर्व से कार्यरत अनुभवी कार्यकर्ता, सहायिका, सहसहायिका से आशय राज्य शासन की किसी योजना, परियोजना अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी / बालवाड़ी / झुलाघर / अतिरिक्त पूरक पोषण आहार वितरण केन्द्र / शहरी पूरक पोषण आहार वितरण केन्द्र / शिशु शिक्षा केन्द्र में कार्य करने के अनुभवी कार्यकर्ता / सहायिका से है । इस हेतु नियंत्रणकर्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावें ।

15. संलग्न किये गये सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची :–

1. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र ।
2. स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र ।
3. प्रभावशील गरीबी रेखा की सूची का प्रमाण पत्र ।
4. अनुसूचित जाति / जनजाति का प्रमाण पत्र ।
5. विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा होने के संबंध में प्रमाण पत्र ।
6. अनुसूचित जाति / जनजाति के कन्या आश्रम में पढ़े होने का प्रमाण पत्र ।
7. पूर्व में कार्यरत अनुभवी कार्यकर्ता / सहायिका / सहसहायिका आदि होने पर प्रमाण पत्र ।

टीपः– आवेदिका ध्यान दें कि समस्त दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करें । असत्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना आवेदिका की जिम्मेदारी होगी ।

आवेदिका का हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है, कोई भी जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जाता है एवं चयन के उपरांत भी मेरी नियुक्ति निरस्त की जाती है तो मुझे कोई आपति नही होगी ।

दिनांक ....

आवेदिका का हस्ताक्षर